रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78

REGISTERED NO. D-(D)--78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1978 (आषाढ़ 10, 1900)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1978 (ASADHA 10, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	605
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	861
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	--
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	623
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	1251
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1477
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	137
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	3615
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	485
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	97
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधि-सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1285
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	109

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	605
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	861
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	623
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1251
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1477
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	137
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	3615
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	485
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	97
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1285
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	109

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और [illegible] न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और [illegible] सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regul[illegible], Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1977

सं० 31-प्रेज/78—राष्ट्रपति, निम्नांकित कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्तव्यपरायणता तथा साहस के लिए "नौसेना मैडल"/"नेवी मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कमांडर सौरिराजुलु रामसागर, वीर चक्र (00379-के०) नौसेना

कमांडर सौरिराजुलु रामसागर को नौसेना में 1 जुलाई 1959 को कमीशन दिया गया था और 1961 में नौसेना के वायु-स्क्वाड्रन के कमांडर के रूप में 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान इन्हें पूर्वी क्षेत्र में भारतीय नौसेना पोत विक्रांत से रात्रि में शत्रु के ठिकानों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। इसमें इन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया और इन्हें "वीर चक्र" से सम्मानित किया गया। जनवरी 1976 में जब ये नौसेना पोत 'कन्नानूर' के कमांडर थे, इनके पोत को राष्ट्रपति यान बनाया गया जिसमें बैठ कर राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना बेड़े का पुनरीक्षण करना था। जिसे इन्होंने बखूबी निभाया और पुनरीक्षण-कार्य में बड़ा योगदान दिया।

कमांडर सौरिराजुलु रामसागर ने आद्योपान्त अनुकरणीय नेतृत्व व्यावसायिक कुशलता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है।

2. कमांडर हरीश चन्द्र शर्मा (00489-के०) नौसेना

कमांडर हरीश चन्द्र शर्मा को नौसेना में मई, 1961 में कमीशन दिया गया था। 1 मार्च 1966 में ये नौसेना बेड़े के वायु स्कन्ध में प्रेक्षक बन गए और तब से इन्होंने इस विशिष्ट क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। ये अर्हता प्राप्त फोटो अफसर भी हैं और साथ ही फोटो के अर्थ बोध विशेषज्ञ हैं। नौसेना के वायु-स्क्वाड्रनों में तथा एक नौसैनिक हवाई अड्डे में इन्होंने आपरेशन अफसर के रूप में विशिष्ट सेवा की। इन्होंने लगातार दो वर्ष तक एलीजेज और सीकिंग वायुयानों में प्रत्येक में 450 घंटे से भी अधिक की उड़ानें की हैं।

कमांडर हरीश चन्द्र शर्मा ने आद्योपांत व्यावसायिक कुशलता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

3. लैफ्टिनेन्ट सुखदीप सिंह कहलों (00826-ए०)।

नौसेना।

लैफ्टिनेन्ट सुखदीप सिंह कहलों 28 सितम्बर 1974 से 2 जुलाई, 1976 तक नौसेना पोत विक्रान्त की 321 फ्लाइट के फ्लाइट कमांडर रहे। इस अवधि के दौरान इन्होंने एल्यूत III हैलीकोप्टर में कुल 530 घंटे की उड़ानें कीं। ये हैलीकोप्टर के एक अनुभवी पायलट हैं और अब तक 1500 घंटे से अधिक की उड़ानें भर चुके हैं। विमान उड़ान के अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बम्बई से कुछ दूर समुद्र में डूब गए एक हैलीकोप्टर से वायु सेना के दो पायलटों को बचाया। 3 जनवरी, 1976 को ये एल्यूत हैलीकोप्टर को बड़ी कुशलता से जमीन पर नीचे उतार लाए।

लैफ्टिनेन्ट सुखदीप सिंह कहलों ने साहस, व्यावसायिक कुशलता तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

दिनांक 2 मार्च 1978

सं० 32-प्रेज/78—राष्ट्रपति, निम्नांकित कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्तव्यपरायणता तथा साहस के लिए "नौसेना मैडल"/"नेवी मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कैप्टेन जयन्त गणपत नदकर्णी, वी० एस० एम० (00086-डब्ल्यू०) नौसेना

22/23 मार्च 1976 की रात को नौसेना का एक पोत मूंगा चट्टान में धंस गया था। कैप्टेन जयन्त गणपत नदकर्णी को, जो नौसेना पोत "दिल्ली" के कमांडर थे, इस फंसे हुए पोत को बाहर निकालने और उसे फिर से चालू करने का काम सौंपा गया।

इन्होंने कुशल नाविक के रूप में बड़ी निपुणता से कई नौसेना पोतों के कार्यों में समुचित समन्वय बनाए रखा और अनेक कार्मिकों को उपर्युक्त दिशा-निर्देश भी दिया। इनके प्रयास से वह पोत फिर चालू हो गया और उसे सुरक्षित बन्दरगाह पर लाया गया। इस कार्रवाई के दौरान इन्होंने अपनी कमान के नीचे काम करने वाले सभी कार्मिकों का हौसला बुलन्द रखा और अपनी व्यक्तिगत सुविधा की परवाह न करते हुए उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया।

इस कार्रवाई में कैप्टेन जयन्त गणपत नदकर्णी ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया।

2. लैफ्टिनेन्ट कमांडर लोकेन्द्र कुमार (00270-एन०)

मार्च 1976 में जब नौसेना का एक पोत मूंगा-चट्टान में धंस गया था तब इसके बचाव-कार्य में नौसेना पोत "गज" को भी लगाया गया। लैफ्टिनेन्ट कमांडर लोकेन्द्र कुमार "गज" पोत के कमांडर थे। धंसे हुए पोत को बाहर निकालने के लिए किए गए कुल दस प्रयासों में से "गज" ने सात प्रयासों में भाग लिया और अन्तिम प्रयास में इनके भाग लेते हुए इस काम में सफलता मिली। प्रतिकूल मौसम और विपरीत दिशा में बह रही तेज तरंगों के बावजूद लैफ्टिनेन्ट कमांडर लोकेन्द्र कुमार अपने पोत को बड़ी सावधानी से धंसे हुए पोत तक पहुंचाने में सफल हुए ? इनके नेतृत्व में पोत के सभी कार्मिक पूरी निष्ठा और लग्न से तब तक कार्य करते रहे जब तक उन्हें इस पोत को बाहर निकाल कर पुनः चालू हालत में लाने में सफलता नहीं मिली।

इस कार्रवाई में लैफ्टिनेन्ट कमांडर लोकेन्द्र कुमार ने अनुकरणीय साहस नेतृत्व और उच्चकोटि की व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया।

3. लैफ्टिनेन्ट कमांडर गुप्तेश्वर राय (00528-जैड०)

नौसेना।

नौसेना पोत "केसरी" की कमान कर रहे लैफ्टिनेन्ट कमांडर गुप्तेश्वर राय को मार्च 1976 में मूंगा चट्टान में धंसे नौसेना के एक पोत को निकाल लाने के लिए सहायतार्थ भेजा गया था। पोत को चालू करने के लिए यह आवश्यक था कि उसके अन्दर पड़ा अधिकांश ईंधन और कुछ उपस्कर आदि निकाल लिए जाएं ताकि उसका भार कम हो सके। प्रतिकूल मौसम और विपरीत दिशा में बह रही तेज तरंगों के बावजूद भी लैफ्टिनेन्ट कमांडर गुप्तेश्वर राय ने बड़ी कुशलता से धंसे हुए पोत के साथ-साथ अपना पोत सुरक्षित ला खड़ा किया। पोत के कर्मीदल ने अपने 36 घंटों में अविराम काम करते हुए धंसे हुए पोत से सभी भारी सामान और उपकरण बाहर निकाले और उसे फिर से चालू हालत में ला खड़ा किया।

इस कार्रवाई में लैफ्टिनेन्ट कमांडर गुतेश्वर राय ने अनुकरणीय साहस नेतृत्व और उच्चकोटि की व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया।

4. लैफ्टिनेन्ट कमांडर मदन लाल, एस० डी० एम० ई०, विशिष्ट सेवा मैडल (85029-वाई०) नौसेना

22/23 मार्च 1976 की रात को नौसेना का एक पोत मूंगा चट्टान में धंस गया था। लेफ्टिनेन्ट कमांडर मदन लाल को उसके सहायतार्थ भेजा गया और उस पोत में क्षति नियंत्रण दल को इनके अधीन रखा गया। पोत के अगले भाग में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था इसलिए उसमें काफी तख्ता बंदी करने और पैबन्द लगाने तथा कुछ भागों से पम्प द्वारा पानी बाहर निकालने का काम किया जाना आवश्यक हो गया था। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लैफ्टिनेन्ट कमांडर मदन लाल ने सुचारु रूप से और बड़ी कुशलता से यह काम किया और ये पोत को हुई क्षति और उससे बढ़ते हुए पानी को रोकने में सफल हुए। इन्होंने अपने आराम की चिन्ता न करते हुए लगातार चार सप्ताह तक काम किया और इससे क्षति नियंत्रण दल को बड़ी प्रेरणा मिली। लैफ्टिनेन्ट कमांडर मदन लाल द्वारा किए गए क्षति नियंत्रण सम्बन्धी कारगर उपायों से ही मुख्यतः पोत को दुबारा चलाकर बन्दरगाह तक लाने में सफलता मिली।

इस कार्रवाई में लैफ्टिनेन्ट कमांडर मदन लाल ने बड़े साहस, नेतृत्व और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

5. लैफ्टिनेन्ट मेवा सिंह, एस० डी० वी० (83181-वाई०) नौसेना

लैफ्टिनेन्ट मेवा सिंह को नौसेना के एक पोत के सहायतार्थ विभिन्न नाविक कौशल कार्यों के संचालन का कार्यभार सौंपा गया था जो मार्च 1976 में एक मूंगा-चट्टान में धंस गया था। अपनी सुख-सुविधा की परवाह किए बिना लगातार काम करते हुए इस लैफ्टिनेन्ट मेवा सिंह ने पोत के छोटे लंगर तथा आगे के बड़े लंगर को नौबार डाला और उठाया। इन्होंने उस पोत को सन के भारी रस्सों से कर्षनौका द्वारा खींच लाने के दस बार प्रयास किए। यह इन्हीं के प्रयासों और उनकी व्यावसायिक कुशलता का फल था कि इस धंसे हुए पोत को पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सका।

इस कार्रवाई से लैफ्टिनेन्ट मेवा सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

6. ब्रह्म देव चौधरी लीडिंग सीमैन (85810-क्वारटर्स मास्टर), द्वितीय श्रेणी नौसेना

लीडिंग सीमैन ब्रह्म देव चौधरी को जो नौसेना पोत "दिल्ली" की रिगिंग पार्टी के सदस्य थे, नौसेना के एक पोत के बच्चाव से सम्बन्धित विविध नाविक कौशल कार्यों में सहायता करने के लिए भेजा गया जो मार्च 1976 में एक मूंगा-चट्टान में धंस गया था। चार सप्ताह की अवधि के भीतर धंसे हुए पोत को बाहर निकालने के 9 से अधिक बार प्रयास किए गए। इनमें से अधिकांश प्रयासों का सम्बन्ध पोत को खींचने के लिए सन के भारी रस्से फेंकने और उन्हें स्लिप केबलों से बांधने से था। लीडिंग सीमैन ब्रह्म देव चौधरी इस कार्रवाई में लगातार काम करते रहे और ये कार्मिक दल के प्रमुख सदस्य थे। ये पोत के छोटे लंगरों तथा आगे के लंगरों को डालने और उठाने के काम में लगे रहे और इस प्रकार पोत को सुरक्षित स्थान पर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा।

इस कार्रवाई में लीडिंग सीमैन ब्रह्म देव चौधरी ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

7. बसन्त राव पाटिल, सीमैन प्रथम श्रेणी

(जी० एल०) 3, 83067 नौसेना

भारतीय नौसेना का एक पोत 22/23 मार्च 1976 को एक मूंगा-चट्टान में धंस गया था। नौसेना पोत, "दिल्ली" को रिगिंग पार्टी के सदस्य सीमैन बसन्त राव पाटिल को इस धंसे हुए पोत को बचाव से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को करने के लिए भेजा गया था। इस पोत को चालू करने के लिए चार सप्ताह के भीतर 9 बार प्रयास किया गया। इनमें से अधिकांश प्रयास पोत को खींचने के लिए सन के मोटे रस्सों को फेंकने और उन्हें पोत के स्लिप और केबलों से बांधना था। सीमैन बसन्त राव पाटिल निरन्तर काम करते रहे और ये कार्मिक दल के प्रमुख सदस्य थे। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए ये पोत के छोटे लंगरों तथा आगे के लंगरों को डालने और उठाने के काम में लगे रहे।

इस कार्रवाई में सीमैन बसन्त राव पाटिल ने अदम्य साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि की व्यावसायिक में कुशलता का परिचय दिया।

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 1978

संकल्प

विषय:—बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की तुलना में श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

सं० एफ० 11-12/77-ए० ई०:—बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (श्रमिक विद्यापीठों) की योजना की तुलना में श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थानों की योजना के पुनरीक्षण के लिये इस मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1976 में निम्नलिखित की एक समिति गठित की गई थी :—

1. श्री अनिल बोर्दिया — अध्यक्ष
संयुक्त सचिव,
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय।

2. डा० टी० ए० कोशी — सदस्य
परियोजना निदेशक,
सामाजिक विकास परिषद,
53, लोधी इस्टेट,
नई दिल्ली-110003

3. श्री बी० सी० रोकडिया, — सदस्य
निदेशक,
बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र,
नई दिल्ली।

2. इस पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर मन्त्रिमण्डल सचिवालय, मंत्रिमण्डल कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन संख्या 105/2/14/75-सी० एफ० दिनांक 19 फरवरी, 1976 में दिए गये अनुदेशों के अनुसरण में इस मंत्रालय द्वारा स्थापित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया था। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पुनरीक्षण समिति की निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वयन के लिये स्वीकार करने का निर्णय लिया है:

I. श्रमिकों की शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य होंगे:

(i) साक्षरता, उदार शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के अवसर प्रदान करके श्रमिक तथा उसके परिवार के निजी जीवन को समृद्ध बनाना,

(ii) श्रमिक को परिवार के सदस्य के रूप में तथा नागरिक के रूप में अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा करने के योग्य बनाना,

(iii) श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये उसकी व्यावसायिक प्रवीणता तथा तकनीकी ज्ञान में सुधार करना;

(iv) सीधी गतिशीलता को सुकर बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना:

(v) वातावरण तथा उसकी अपनी दशा के सम्बन्ध में उसमें आलोचनात्मक सूझबूझ पैदा करने के उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक पद्धतियों से संबंधित उसके ज्ञान तथा समझ को और विस्तृत करना।

II. श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थानों एवं बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की वर्तमान दोनों योजनाओं का विलय कर दिया जायेगा और एकीकृत योजना का नाम होगा "अनौपचारिक श्रमिक शिक्षा योजना।" इस योजना के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली संस्थाओं को "श्रमिक विद्यापीठ" कहा जाएगा। तदनुसार, इन्दौर और नागपुर में कार्य कर रहे दो श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थानों को श्रमिक विद्यापीठ में बदल दिया जायेगा।

III. बम्बई, दिल्ली, और अहमदाबाद में विद्यमान श्रमिक विद्यापीठों तथा नागपुर और इन्दौर स्थित वर्तमान श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थानों का पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित रूप रेखाओं के अनुसार पुनर्गठन किया जायगा। इन संस्थाओं में कार्य कर रहे वर्तमान कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/सम्बन्धित संगठनों के परामर्श से इस सम्बन्ध में आवश्यक कारवाई चरणों में की जाएगी।

श्रमिक विद्यापीठ के कार्य निम्नलिखित होंगे: -

(क) शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यकलापों का आयोजन एवं संचालन,

(ख) सर्वेक्षणों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की विभिन्न प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना तथा इन्हें निश्चित करना;

(ग) (क) श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन में शैक्षणिक संस्थाओं, (ख) सांस्कृतिक संस्थाओं, श्रमिक संगठनों, नियोक्ता संघों, युवक संगठनों, और अन्य संस्थाओं जो श्रमिकों की सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्याण सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिये कार्यक्रम तथा कार्यकलाप आयोजित कर रही है और (ग) श्रमिकों की उत्पादन शक्ति, रोजगार योग्यता, सामाजिक और नागरिक दायित्व तथा प्रबन्ध में सहभागिता को प्रोन्नत करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले सार्वजनिक तथा निजी उद्यमों, के साथ सहयोग करना।

(घ) श्रमिकों की शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन तथा कार्यान्वियन में कार्यरत व्यक्तियों का प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन शुरू करना,

(ङ) ऐसी एजेन्सियों, उद्यमों को परामर्श उपलब्ध कराना जो श्रमिकों के प्रशिक्षण और शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करने के लिये योजना बना रहे हैं।

V. श्रमिक विद्यापीठ, स्वैच्छिक, कानूनी अथवा ऐसे ही अन्य संगठनों के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित किय जायेंगे।

VI. प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ कार्यों की व्यवस्था एक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा की जाएगी जिसका अध्यक्ष एक विख्यात व्यक्ति होगा। ये बोर्ड भारत सरकार तथा राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे।

VII. किसी स्थान विशेष की औद्योगिक संरचना, श्रमिकों की विशिष्टताओं उनकी विशेष शैक्षिक और व्यावसायिक धन्धे से संबंधित आवश्यकताओं और हितों आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ का प्रबन्ध बोर्ड श्रमिक विद्यापीठ के कार्यक्रम और कार्यकलाप तैयार करने लिए जिम्मेदार होगा। बोर्ड पद्धतियों कार्यक्रमों की विषय वस्तु, भाग लेने वालों के शैक्षिक स्तर तथा पाठ्यक्रमों की अवधि आदि को भी निर्धारित करेगा। श्रमिक विद्यापीठ के कार्यकरण का मूल्यांकन प्रत्येक विद्यापीठ के कार्यक्रम के संचालन का अभिन्न अंग होना चाहिए तथा प्रबन्ध बोर्ड आवधिक मूल्यांकन के लिये जिम्मेदार होना चाहिए।

VIII. कार्यक्रम के विस्तार और प्रसार के लिये श्रमिक विद्यापीठों का एक जाल बिछा देने के लिए सुव्यवस्थित रूप से चरणबद्ध प्रयासों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। अन्य स्थानों तक योजना के विस्तार के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

(क) ऐसे श्रमिक दल का होना जो अल्पकालिक, कार्योन्मुख पाठ्यक्रमों का जो उनकी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं लाभ उठा सके।

(ख) ऐसे योग्यता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों की उपलब्धता जो विद्यापीठ के लिये संभावित शैक्षिक संसाधनों की एक संस्था के रूप में कार्य कर सकें; और

(ग) श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना के समर्थन में सहयोग देने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार और/अथवा सम्बन्धित संगठन का रजामन्दी।

IX. श्रमिकों की अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास के बारे में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को परामर्श देने के लिये शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में एक कार्यक्रम सलाहकार समिति स्थापित की जायेगी।

X. पुनरीक्षण समिति ने प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ के लिये कुछ न्यूनतम पूर्णकालिक स्टाफ की सिफारिश की है। यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल विद्यमान स्टाफिंग पद्धति को ही सभी वर्तमान तथा नये श्रमिक विद्यापीठों के लिये जारी रहने दिया जाये। स्टाफिंग पद्धति में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में उस समय विचार किया जाये जब छठी योजना के दौरान उक्त योजना के व्यापक विस्तार से संबंधित प्रस्ताव तैयार किये जायें। पूर्णकालिक स्टाफ के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अंशकालीन स्टाफ भी रखेगा और अंशकालिक स्टाफ एवं कार्यक्रमों के विकास में कार्यरत उनमें अध्यापन करने वाले मुख्य व्यक्तियों को मान देय की अदायगी के लिये अपने बजट में व्यवस्था करेगा।

XI. श्रमिक विद्यापीठों को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा सम्बन्धित स्थायत्त निकायों/स्वैच्छिक एजेंसियों के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमानों एवं भत्तों को अपनाने की छूट होगी।

XII. श्रमिक विद्यापीठों को तकनीकी मार्ग दर्शन देने उनके कार्यकलापों का समन्वय करने, विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन की व्यवस्था करने और कार्यक्रम विकास पाठ्यचर्या तैयार करने सामग्री निर्माण तथा बहुउद्देशीय संचार साधनों में मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में एक एकक की स्थापना की जायेगी। यह एकक राज्य सरकारों सहित अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ भी सम्पर्क बनाये रखेगा और समय-समय पर उक्त कार्यक्रमों का पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन भी किया करेगा।

XIII. भारत सरकार मौजूदा पद्धति के अनुसार श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना तथा संचालन के लिये सहायता अनुदान प्रदान करती रहेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग तथा प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

अनिल बोर्दिया,
संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 1978

विषय:—अखिल भारतीय खेल परिषद् का पुनर्गठन

स० एफ० 1-6/78-एस० पी०-1—अखिल भारतीय खेल परिषद् का पिछला पुनर्गठन संकल्प संख्या एफ० 1-2/75 एस० पी०-1 दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 द्वारा किया गया और इसमें परिषद् के अध्यक्ष सहित कुल अड़तालीस व्यक्ति सदस्य थे। यह अनुभव किया गया है कि विद्यमान परिषद्, जिसकी सदस्य संख्या बहुत अधिक है, बोझिल है और इसे और अधिक कार्यात्मक तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यह भी अनुभव किया गया है कि परिषद के कार्य के क्षेत्र को भी विस्तृत किया जाना चाहिये। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय खेल परिषद् को पुनर्गठित करना आवश्यक पाया गया है तथा तदनुसार संकल्प संख्या एफ० 1-2/75 एस० पी०-1 दिनांक 15 दिसम्बर, 1976, जिसे भारत सरकार के सम संख्यक संकल्प दिनांक 30-12-1976 द्वारा संशोधित किया गया, रद्द करते हुए परिषद् के विधान को संशोधित करने तथा इस अधिसूचना के जारी होने के तारीख से इसे पुनर्गठित करने का एतद्द्वारा संकल्प किया जाता है।

2. अखिल भारतीय खेल परिषद, जिसे इसके बाद परिषद कहा जायेगा, एक सलाहकार निकाय होगी और वह निम्नलिखित कार्य करेगी:—

(i) खेलकूद की प्रोन्नति से सम्बन्धित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना,

(ii) खेल कूद की प्रोन्नति से सम्बन्धित कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं तथा खेल सुविधाओं की व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय खेल संघों/संगठनों राज्य खेल परिषदों, राज्य सरकारों इत्यादि को दी जाने वाली वित्तीय तथा अन्य सहायता के सम्बन्ध में, सरकार को सलाह देना,

(iii) सरकार तथा राष्ट्रीय खेल संघों/संगठनों के बीच सम्पर्क के रूप म कार्य करना।

3. अखिल भारतीय खेल परिषद में एक अध्यक्ष और बीस सदस्य होंगे, जिनका नामन निम्नप्रकार से किया जायेगा। एक सदस्य को सरकार द्वारा उपाध्यक्ष नामित किया जायेगा:—

(i) अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित किया जायेगा)

(ii) उपाध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों में से ही नामित किया जायेगा)।

(iii) खेलों को प्रोत्साहन देने वाले और खेलों की प्रोन्नति संगठन और प्रशासन से सम्बन्धित मामलों के जानकार व्यक्ति (भारत सरकार द्वारा नामित किये जाएंगे)। . . . . 6 (दो महिलाओं सहित)

(iv) खेल लेखक/खेल समीक्षक (भारत सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे) . . . 2

(v) शिक्षाविद 1
(भारत सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे)

(क) स्कूलों में खेलों की प्रोन्नति से सम्बन्धित मामलों के जानकार। 1

(ख) विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों की प्रोन्नति से सम्बन्धित मामलों के जानकार। . . . 1

(vi) लोक सभा के दो सदस्य (लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जायेंगे)। . . 2

(vii) राज्य सभा का एक सदस्य (राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जायेगा)। . . 1

(viii) राज्य खेल परिषदों के प्रतिनिधि/जो भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से नामजद किये जायेंगे)। 5

(ix) विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि . . 1

(x) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में खेल तथा शारीरिक शिक्षा के प्रभारी ब्यूरो/अध्यक्ष

(सदस्य सचिव)

4. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल निम्नलिखित शर्तों पर इस परिषद् की प्रथम बैठक की तारीख से तीन वर्ष होगा।

(i) पदेन सदस्य उस समय तक ही सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहते हैं जिसके कारण वे परिषद के सदस्य हैं।

(ii) नामजद सदस्य नामजद करने वाले प्राधिकारी की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकेंगे।

(iii) जो भी सदस्य अध्यक्ष से अनुपस्थिति की मंजूरी प्राप्त किये बिना परिषद् की चार लगातार बैठकों में भाग नहीं लेता है, उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जायेगी।

(iv) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण यदि कोई स्थान परिषद में खाली हो जाता है, तो उस खाली स्थान पर नियुक्त किया गया व्यक्ति तीन वर्ष की शेष अवधि तक ही अपने पद पर रह सकेगा।

(v) कोई भी व्यक्ति, जो किसी राष्ट्रीय खेल संघ/संगठन का पदाधिकारी (प्रेजिडेंट, चेयरमैन, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष) है परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य के रूप में नामांकन के लिये पात्र नहीं होगा। इसके विपरीत यदि परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य ऐसा पदाधिकारी बन जाता है तो वह परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य नहीं रहेगा।

5. परिषद् की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

6. परिषद के कार्य के निपटान को सुकर बनाने के लिये, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा परिषद के कम से कम चार सदस्यों और अधिक से अधिक छः सदस्यों की, जो कि परिषद् द्वारा अपनी पहली बैठक में चुने जायेंगे, एक कार्यकारी समिति होगी। कार्यकारी समिति ऐसे कार्य करेगी जो परिषद द्वारा उसे सौंपे जायेंगे। कार्यकारी समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी। कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय परिषद् की अगली बैठक में सूचित किये जायेंगे।

7. परिषद्/कार्यकारी समिति, खेलों से सम्बन्धित ऐसे मामलों पर, जो परिषद/कार्यकारी समिति की बैठकों के आयोजन तक नहीं रोके जा सकते, परिषद/कार्यकारी समिति की ओर से भारत सरकार को सलाह देने के लिये परिषद् के अध्यक्ष को प्राधिकृत कर सकती है।

8. उपाध्यक्ष, परिषद, कार्यकारी समिति तथा परिषद की उप समितियों की बैठकों का, जिसके कि अध्यक्ष सभापति हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापतित्व करेंगे तथा ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपे जायें।

9. परिषद् कार्यकारी समिति आवश्यक समझे गये विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उप समितियां स्थापित कर सकती है।

10. परिषद खेल विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार करेगी, जिसमें से एक अथवा अधिक से विशिष्ट मामलों पर आवश्यकता पड़ने पर परामर्श किया जा सकता है।

11. भारत सरकार परिषद के विधान और गठन में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है ।

12. परिषद के अध्यक्ष को विशेषज्ञों अथवा अन्य जानकार व्यक्तियों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा, विशेषकर परिषद, इसकी कार्यकारी समिति अथवा इसकी उप समितियों की किसी भी बैठक में भाग लेने के लिये ।

13. शिक्षा और समाज कल्याण (शिक्षा विभाग) परिषद, कार्यकारी समिति और इसकी उप समितियों को ऐसी सचिवालय सहायता प्रदान करेगा, जो आवश्यक हो ।

आदेश

14. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय/भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों/सभी राज्य खेल परिषदों/भारत के विश्वविद्यालयों/अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघों/परिषदों के अध्यक्ष/अध्यक्ष, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी/निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला/प्रधानाचार्य लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर को भेज दी जाये।

15. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

सोमनाथ पंडित संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1977

No. 31-Pres/78.—The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal"/"Navy Medal" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty and courage :—

1. COMMANDER SOURIRAJULU RAMSAGAR, Vr. C. (00379-K), NAVY.

Commander Sourirajulu Ramsagar was commissioned in the Navy on the 1st July 1959. As commanding Officer of a Naval Air Squadron, he was responsible for carrying out night strike missions from the naval Ship Vikrant, in the Eastern Sector throughout the Indo-Pak conflict, 1971. He exhibited valour of a high order during that operation and was awarded the Vir Chakra. In January, 1976, while he was in command of the Naval Ship CANNANORE, his ship was designated as the President's Yacht for the Review of the Naval Fleet by the President. He carried out this onerous task most effectively, thereby contributing towards the success of the Review.

Throughout, Commander Sourirajulu Ramsagar has displayed exemplary leadership, professional skill and devotion to duty of a high order.

2. COMMANDER HARISH CHANDRA SHARMA (00489-K), NAVY.

Commander Harish Chandra Sharma was commissioned in the Navy in May 1961. He qualified as an Observer in the Fleet Air Arm in March 1966 and has since held many important appointments in this specialised field. He is also a qualified Photo Officer with specialisation in photo interpretation. Commander Sharma has served with distinction in Naval Air Squadrons and as Operations Officer of a Naval Air Station. He has flown over 450 hours each on Alizes and Seakings within consecutive periods of two years.

Throughout Commander Sharma has displayed high professional skill and devotion to duty of a high order.

3. LIEUTENANT SUKHDIP SINGH KAHLON (00826-A), NAVY.

Lieutenant Sukhdip Singh Kahlon was the Flight Commander of 321 Flight, on the Naval Ship Vikrant from 25th December 1974 to 2nd July 1976. During this period, he flew a total of 530 hours on Alouette III helicopters. He is an experienced helicopter Pilot who has flown over 1500 hours to-date. During his tenure in the flight, he rescued two Air Force Pilots from a helicopter which had gone down in the sea off Bombay. He successfully forcelanded an Alouette on 3rd January 1976.

Lieutenant Sukhdip Singh Kahlon has thus displayed courage, professional skill and devotion to duty of a high orders.

The 2nd March 1977

No. 32-Pres/78.—The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal"/"Navy Medal" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty and courage :—

1. CAPTAIN JAYANT GANPAT NADKARNI, VSM (00086-W), NAVY.

A Naval Ship had grounded on a coral reef on the night of 22/23rd March 1976. Captain Jayant Ganpat Nadkarni, who was in command of the naval Ship, Delhi, was ordered to take charge of operations to refloat the ship. He coordinated and directed the activities of a number of ships and personnel with ingenuity and good seamanship. His efforts resulted in the ship being refloated and brought safely back to port. Throughout the operations, he maintained high morale amongst the personnel under his command, and set an example by his disregard for own comfort.

In this operation, Captain Jayant Ganpat Nadkarni displayed exemplary courage, leadership and professional skill of a high order.

2. LIEUTENANT COMMANDER LOCKENDRA KUMAR (00270-N), NAVY.

Lieutenant Commander Lokendra Kumar was in command of the Naval Ship Gaj, which was detailed to participate in operations to salvage a naval Ship which had grounded on a coral reef in March 1976. I.N.S. Gaj participated in, seven attempts made to float the grounded ship including the final successful one. Lieutenant Commander Lockendra Kumar handled his ship under adverse weather conditions and in strong cross currents and succeeded, on each occasion, in closing in one the stranded ship and passing the tow. Under his leadership, the company of his ship worked with determination and enthusiasm till the grounded ship was finally refloated.

Throughout the operation, Lieutenant Commander Lokendra Kumar displayed exemplary courage, leadership and professional skill of a high order.

3. LIEUTENANT COMMANDER GUPTESHWAR RAI (00528-Z), NAVY.

Lieutenant Commander Gupteshwar Rai, in command of the naval Ship, Kesari, was sent to assist in salvaging a naval Ship which had grounded on a coral reef in March 1976. To refloat the ship, it was necessary to lighten her by taking off most of her fuel and equipment. Under adverse weather conditions and in strong cross currents, Lieutenant Commander Gupteshar Rai skillfully handled his ship and secured it alongside the grounded ship. This enabled the crew of his ship who, working round the clock during the next 36 hours, removed all heavy stores and equipment from the grounded ship and, thus, made it possible to refloat her.

Throughout the operation, Lieutenant Commander Gupteshwar Rai displayed exemplary courage, leadership and professional skill of a high order.

4. LIEUTENANT COMMANDER MADAN LAL, VSM (85029-Y), (SPECIAL DUTIES ENGINEERING MECHANIC), NAVY.

A naval Ship had grounded on a coral reef on the night of 22/23rd March 1976. Lieutenant Commander Madan Lal was detailed to assist in the subsequent salvage operation and given charge of damage control organisation on board the grounded ship. The ship was badly holed forward, requiring

extensive shoring, patching and pumping out for flooded compartments. Working systematically and skillfully under adverse conditions, Lieutenant Commander Madan Lal succeeded in limiting the damage and the extent of flooding. He worked unceasingly throughout the four weeks of the operation, without regard to his personal comforts which inspired the damage-control-team with his leadership. The success in refloating the ship and towing her back to harbour was largely due to the damage control measures effected by Lieutenant Commander Madal Lal.

In this operation Lieutenant Commander Madan Lal displayed great courage, leadership and professional kill of a high order.

5. LIEUTENANT MEWA SINGH (83181-Y),
(SPECIAL DUTIES BOATSWAIN),
NAVY.

Lieutenant Mewa Singh was placed in charge of various seamanship evolutions in connection with salvage operations for a naval Ship which had grounded on a coral reef in March 1976. Working unceasingly and without regard for his personal convenience Lieutenant Mewa Singh laid and recovered the ship's kedge and bower anchors over nine times. He organised the passing of heavy tows to the tugs on ten different occasions. It was largely due to his efforts and professional competence that the grounded ship was saved from becoming a total loss.

In this operation Lieutenant Mewa Singh displayed exemplary courage, determination and professional skill of a high order.

6. BRAHMA DEO CHAUDHARY,
LEADING SEAMAN (QUARTERS ARMOURER),
2ND CLASS 85810,
NAVY.

Leading Seaman Brahma Deo Chaudhary, a member of the rigging party of the naval Ship Delhi, was sent to assist in various seamanship evolutions in connection with the salvage operations of a naval Ship which had grounded on a coral reef in March 1976. During a period of four weeks over nine attempts were made to float the grounded ship. A number of these attempts involved working with and passing heavy towing wires and connecting the tows to slips and cables. Leading Seaman Brahma Deo Chaudhary worked unceasingly throughout the entire period of operations and was a prominent member of the working party. He was involved in laying and recovering various kedge and bower anchors and greatly contributed to the success of the salvage operation.

In this operation Leading Seaman Brahma Deo Chaudhary displayed exemplary courage, determination and professional skill of a high order.

7. VASANT RAO PATIL (GL) 3, 83067,
SEAMAN FIRST CLASS,
NAVY.

A naval Ship had grounded on a coral reef on the night of 22/23rd March 1976. Seaman Vasant Rao Patil, a member of the rigging party on board the naval Ship, Delhi, was sent to assist in various seamanship evolutions undertaken to salvage the grounded ship. For a period of four weeks, over nine attempts were made to float the grounded ship. A number of these attempts involved working with and passing heavy towing wires and connecting the tows to ships and cables. Seaman Vasant Rao Patil worked unceasingly throughout the entire operations and was a prominent member of the working party. He was also involved in the laying and recovering of various kedge and bower anchors in complete disregard for his personal safety.

In this operation Seaman Vasant Rao Patil displayed great courage, determination and professional skill of a high order.

K. C. MADAPPA
Secy. to the President

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 6th June 1978

RESOLUTION

Subject :—Implementation of the recommendations of the Review Committee on Workers Social Education Institutes vis-a-vis Polyvalent Adult Education Centres.

No. F. 11-12/77-AE.I.—A Committee consisting of the following was appointed in August, 1976 by this Ministry to review the scheme of Workers Social Education Institutes vis-a-vis the scheme of Polyvalent Adult Education Centres (Shramik Vidyapeeths) :—

Chairman

1. Shri Anil Bordia,
Joint Secretary,
Ministry of Education
and Social Welfare

Member

2. Dr. T. A. Koshy,
Project Director,
Council for Social Development,
53 Lodi Estate,
New Delhi-110003

Member

3. Shri B. C. Rokadiya,
Director,
Polyvalent Adult Education
Centre,
New Delhi.

2. The recommendations made by the Review Committee were considered by an Empowered Committee set up by this Ministry in pursuance of the instructions contained in O. M. No. 105/2/14/75-CF dated the 19th February, 1976 issued by the Cabinet Secretariat, Department of Cabinet Affairs. In the light of the decisions taken by the Empowered Committee, the Government of India have decided to accept the following recommendations of the Review Committee for implementation :—

I. OBJECTIVES of the programme of Education of workers will be :—

(i) to enrich the personal life of the worker and his family by providing opportunities of literacy, liberal education, physical culture and recreation;

(ii) to enable the worker to play a more effective role as a member of the family and as a citizen;

(ii) to improve the occupational skills and technical knowledge of the worker for raising his efficiency and increasing his productive capability;

(iv) to organise programmes of vocational and technical training with a view to facilitating vertical mobility; and

(v) to widen the range of his knowledge and understanding of the social, economic and political systems in order to create in him a critical awareness about the environment and his own predicament.

II. The existing two schemes of Workers Social Education Institutes and Polyvalent Adult Education Centres will be merged and the integrated scheme will be known as "Non-formal Education of Workers". The institutions to be set up under this scheme will be known as "Shramik Vidyapeeths". The two Workers Social Education Institutes functioning at Indore and Nagpur will, accordingly, be converted into Shramik Vidyapeeths.

III. The existing Shramik Vidyapeeths at Bombay, Delhi and Ahmedabad and the Workers' Social Education Institutes at Nagpur and Indore will be restructured on the lines proposed by the Review Committee. Necessary action in this regard will be taken in stages in consultation with State Governments/organisation concerned, taking care of the interests of the present staff members working in these institutions.

IV. The functions of a Shramik Vidyapeeth will be as under :

(a) to plan and organise educational programmes and other activities to serve the educational needs of workers in urban and industrial areas;

(b) to identify and ascertain through surveys the varieties of educational needs of different categories of labour population;

(c) to cooperate with : (a) educational institutions in organising specific programmes for different categories of workers; (b) cultural societies, workers organisations, employers associations, youth organisations and other institutions which are organising programmes and activities to meet worker's social, cultural and welfare needs; and (c) public and private enterprises organising programmes to promote worker's productivity, employment capability, social and civic responsibility and participation in the management;

(d) to undertake the training and orientation of persons involved in planning and implementation of various programmes of education of workers;

(e) to provide consultation services to agencies and enterprises planning to organise programmes for training and education of workers.

V. The Shramik Vidyapeeths will be set up as autonomous bodies under voluntary, statutory or other such organisations.

VI. The affairs of each Shramik Vidyapeeth will be managed by a Board of Management with a distinguished person as its Chairman. These Boards will also give adequate representation to the various interests including the Government of India and the State Governments.

VII. The Boards of Management for each Shramik Vidyapeeth will be responsible for formulation of the programme and activities of the Shramik Vidyapeeths taking into account the industrial structure at a place, characteristics of workers, their special educational and vocational/occupational needs and interests etc. The Board will also decide the methods, the content of the programmes, educational level of participants and the duration of the courses etc. Evaluation of the working of a Shramik Vidyapeeth should be part and parcel of the programme organisation of each Vidyapeeth and the Board of Management should be responsible for periodic evaluation.

VIII. The setting up of a net work of Shramik Vidyapeeths in well phased out effort to extend and expand the programme has been accepted in principle. In extending the Scheme to other places, the following factors will be kept in view :—

(a) the existence of labour force which can benefit by short-term, work-oriented courses tailored to their learning needs;

(b) availability of qualified technical persons that can serve as a pool of potential instructional resources for the Vidyapeeth; and

(c) the willingness of the concerned State Government and/or the organisation concerned to cooperate in supporting establishment of Shramik Vidyapeeth.

IX. A programme Advisory Committee will be set up in the Ministry of Education & Social Welfare to advise the Directorate of Adult Education on the development of programmes of Nonformal Education of Works.

X. The Review Committee has recommended some minimum full-time staff for a Shramik Vidyapeeth. It has been decided that for the present, the existing staffing pattern may continue for all existing as well as new Shramik Vidyapeeths. A change in the staffing pattern may be considered at the time when proposals for a substantial expansion of the scheme during the mid-term Plan 1978-83 are formulated. In addition to the full-time staff, each Shramik Vidyapeeth will engage part time staff according to their needs and will make provision in its budget for payment of honoraria to the part-time staff and resource persons involved in developing programmes as well as teaching in them.

XI. The Shramik Vidyapeeths will have the option to adopt the Central Government scales of pay and allowances or those applicable in the State Governments or those applicable for the employees of the autonomous body/voluntary agency concerned.

XII. A unit will be set up in the Directorate of Adult Education to provide technical guidance to the Shramik Vidyapeeths, to coordinate their activities, to organise training and orientation for different functionaries and to provide guidance in the programme development, curriculum formulation and production of materials and multi-media aids. The unit will also liaise at all-India level with various agencies, including State Governments, and will undertake review and evaluation of the programme from time to time.

XIII. The Government of India will continue to provide grants-in-aid for the establishment and running of the Shramik Vidyapeeths on the existing pattern.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, UT Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, University Grants Commission, Planning Commission, Prime Minister's Office, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

ANIL BORDIA, Jt. Secy.

New Delhi, the 9th June 1978

RESOLUTION

Subject : *Reconstitution of the all India Council of Sports.*

No. F. 1-6/78-SP.I.—The All India Council of Sports was last reconstituted *vide* Resolution No. F.1-2/75-SP.I dated the 15th December, 1976 with a total membership of fortyeight persons including President of the Council. It has been felt that the existing Council with its large membership is unwieldy and needs to be made more functional and effective. It has also been felt that the scope of functions of the Council should be enlarged. In view of these considerations, it has been found necessary to reconstitute the All India Council of Sports and accordingly in supersession of the Resolution No. F. 1-2/75-SP. I dated 15th December, 1976, as amended in the Government of India Resolution of even number dated the 30th December, 1976, it is hereby resolved to revise the constitution of the Council and reconstitute it with effect from the date of this notification.

2. The All India Council of Sports herein-after called the Council will be an advisory body and will discharge the following functions :—

(i) to advise Government of India on all matters relating to promotion of sports and games;

(ii) to advise Government on the financial and other assistance to be given to the National Sports Federations/Associations, State Sports Councils, State Governments etc. for programmes, schemes, projects concerning promotion of sports and games and provision of sports facilities; and

(iii) to act as liaison between Government and National Sports Federations/Associations.

3. The Council shall consist of a President and twenty members to be nominated as indicated below. One of the members will be nominated Vice-President by the Government.

(i) President (To be nominated by the Government of India)

(ii) Vice-President (To be nominated by the Govt. of India out of members mentioned below :

(iii) Sports promoters and persons knowledgeable in matters relating to promotion, organisation and administration of sports (to be nominated by Govt. of India) 6(including 2 women)

(iv) Sports writer/sports commentator (to be nominated by the Government of India.

(v) Educationists

(to be nominated by the Govt. of India)

(a) knowledgeable in matters relating to promotion of sports in schools. 1

(b) knowledgeable in matters relating to promotion of sports at the university level. 1

(vi) Two members of Lok Sabha (to be nominated by the Speaker of Lok Sabha 2

(vii) One member of Rajya Sabha (to be nominated by Chairman, Rajya Sabha). 1

(viii) Representatives of the State Sports Council (to be nominated by the Govt. of India in consultation with the State Governments/U.Ts concerned.) 5

(ix) A representative of the Ministry of External Affairs. 1

(*Member-Secretary*)

(x) Bureau Head incharge of Sports and Physical Education in the Ministry of Education & Social Welfare. 1

4. The tenure of the President, Vice-President and other members of the Council shall be three years from the date of its first meeting subject to the following :

(i) The ex-officio members shall continue as members so long as they hold offices by virtue of which they are members of the Council.

(ii) The nominated members shall hold office during the pleasure of the nominating authority.

(iii) A member who does not attend four consecutive meetings of the Council, without obtaining leave of absence from the President shall automatically cease to be a member.

(iv) If a vacancy arises on the Council due to resignation, death or any other cause, of President, Vice-President or any other member, the person appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of the three years.

(v) No person who is an office bearer (President, Chairman, Secretary or Treasurer) of any National Sports Federation/Association, shall be eligible for nomination as President, Vice-President or other member of the Council. Conversely, if President, Vice-President or any member of the Council becomes such an office-bearer he or she shall cease to be President, Vice-President or other member of the Council.

5. The Council shall hold at least two meetings in a year.

6. For facility of the disposal of the work of Council, there shall be an Executive Committee consisting of the President, Vice-President, Member-Secretary and not less than four but not exceeding six other members of the Council, to be chosen by the Council in its first meeting. The Executive Committee shall perform such functions as may be delegated by the Council. The Executive Committee shall meet as often as necessary. The decisions taken by the Executive Committee shall be reported to the Council at its next meeting.

7. The Council/Executive Committee may authorise the President of the Council to render advice to the Government of India on behalf of the Council/Executive Committee on such matters concerning sports and games which cannot await holding of the meeting of the Council/Executive Committee.

8. The Vice-President shall preside over the meetings of the Council, Executive Committee and Sub-Committees of the Council of which the President is the Chairman, in the absence of the President, and discharge such other functions as the President may entrust to him.

9. The Council/Executive Committee may set up Sub-Committees for specific purposes as may be considered necessary.

10. The Council may draw up a panel of sports experts, one or more of whom may be consulted by it as and when necessary, on specific matters.

11. The Government of India may revise the constitution as well as the composition of the Council as it may consider necessary from time to time.

12. The President of the Council will have the power to invite experts or other knowledgeable persons specially to attend any of the meetings of the Council, its Executive Committee or its Sub-Committees.

13. The Ministry of Education and Social Welfare (Deptt. of Education) shall give such secretarial assistance to the Council, the Executive Committee and its Sub-Committees as may be necessary.

ORDER

14. ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat/Ministries/Departments of the Government of India, All State Governments/Union Territory Administrations, All State Sports Councils, Universities in India, President, Indian Olympic Association, Presidents National Sports Federation/Associations, Chairman, Society for National Institute of Physical Education and Sports, Director, Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala, Principal, Laxmibai National College of Physical Education, Gwalior.

15. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. PANDITA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978